न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.

वाद संख्या :–30/2017 , (2017/00348)

1. जगदीश प्रसाद पुत्र धन्नाराम जाति अहीर निवासी ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सुन्दरी पुत्री जयनारायण पत्नी जगदीश प्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. बिदामी देवी पत्नी छीतरमल जाति अहीर निवासी ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –प्रार्थीगण

बनाम

1. पृथ्वीसिंह पुत्र रामनारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. हरेन्द्र सिंह पुत्र करण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. भगवती पत्नी महादेव
4. बद्री प्रसाद पुत्र भूरा
5. सीताराम पुत्र मन्ना
6. नन्दा पुत्र बिरदू
7. नान्छी पत्नी नानू
8. ज्याना देवी पत्नी पोखर
9. हनुमान पुत्र भूरा
10. कैलाश पुत्र सुज्या
11. पूरण पुत्र सुज्या
12. मांगी देवी पुत्री गणेश पत्नी साधूराम

    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. नारायण पुत्र बालू अहीर
14. कल्याण पुत्र बालू अहीर
15. शंकर पुत्र बालू
16. कैलाश पुत्र चौथू
17. महेश पुत्र चौथू

    समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयुपर।

18. प्रेम देवी पुत्री चौथू यादव जाति अहीर निवासी व्यासों की ढाणी, खन्नीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
19. सुन्दरी देवी पुत्री चौथू यादव जाति अहीर निवासी व्यासों की ढाणी, खन्नीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
20. ग्यारसी देवी पुत्री चौथू यादव जाति यादव निवासी लोहरवाडा तहसील चौमू जिला जयपुर।
21. संतोष पुत्री चौथू यादव जाति यादव निवासी लोहरवाडा तहसील चौमू जिला जयपुर।
22. मंगली पुत्री चौथू निवासी लोहरवाडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
23. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी

निर्णय दिनांक :– 15.11.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण की आराजी भूमि जिसके खाता सं0 नया 142 व पुराना 114 में स्थित आराजी ख0नं0 1473 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1473 रकबा 0.3 है0, ख0नं0 1476 रकबा 0.06 है0 तथा अन्य खाता संख्या नया 276 तथा पुराना 430 में स्थित हाल आराजी ख0नं0 1475 रकबा 3.78 है0 वाके ग्राम जाहोता, पटवार हल्का जाहोता, भू.अभि.निरी.क्षे. जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसके भू अभिलेखित खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। तथा मुतदाविया आराजीयात का शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 01.12.2016 को श्रीमान् तहसीलदार साहब आमेर के आदेश क्रमांक भू.अ./2016/6001 दिनांक 26.10.2016 की पालना में सीमाज्ञान पक्षकारान की उपस्थिति में किया जा चुका है।

प्राथीगण अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि का श्रीमान् तहसीलदार आमेर के उक्त आदेशानुसार हुए सीमाज्ञान दिनांक 1.12.2016 के अनुसार पत्थरगढी प्रार्थीगण करवाना चाहते है पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सं0 1 लगायत 19 को उक्त सीमाकंन व पत्थरगढी बाबत कोई उज्र हो तो माननीय न्यायालय उन्हें तलब कर प्रार्थीगण के पक्ष में सीमाकंन व पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करें।

जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सके। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 19 की कृषि भूमि की सीमाएं आपस में मिल हुई है। इस कारण अप्रार्थीगण को इस प्रार्थना पत्र में तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर पक्षकार बनाया गया है तथा प्रार्थना पत्र अधीन कृषि आराजी के दक्षिणी दिशा में अन्य ग्राम आछोजाई स्थित है। जिसकी भी पडौसी खातेदारान काश्तकारान को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 22 प्रार्थीगण के कृषि आराजीयात के चारों दिशाओं के पडोसी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण संख्या में अधिक होने के कारण प्रार्थिगण से रंजीश रखते है तथा प्रार्थीगण द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान को राजस्व कर्मचारियों के सामने तो मानने को सहमत हो गये किन्तु उक्त सीमाज्ञान के पश्चात् अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को मानने से दिनांक 9.8.2017 को एक राय होकर इंकार हो गये तथा मौके पर सीमाज्ञान के अनुसार किये अस्थाई चिन्हों को भी मिटाने को आतुर हो रहे है। जिसके कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हो गया जिससे की पत्थरगढी होने के पश्चात पडोसी खातेदार काश्तकारों से आपसी रंजीश व बैर भावना से निजात मिल सके।

प्रार्थीगण को हक अधिकार हासिल है कि वे न्यायालय के आदेशानुसार अपने कब्जेकाश्त कृषि आराजीयात जिसका वर्णन प्रा0पत्र के मद नं0 1 में किया गया है के बाबत पत्थरगढी अप्रार्थी सं0 23 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से जरिये पुलिस इमदाद करावे व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 22 को हुक्म ईम्तनाई से भी पाबंद करवावे की प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 23 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई बाधा व मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीयां की खातेदारी कृषि भूमि खाता सं0 नया 142 व पुराना 114 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1473 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1473 रकबा 0.3 है0, ख0नं0 1476 रकबा 0.06 है0 तथा अन्य खाता सं0 276 तथा पुराना 430 में स्थित हाल आराजी ख0नं0 1475 रकबा 3.78 है0 वाके ग्राम जाहोता, पटवार हल्का जाहोता, भू.अभि.निरी.क्षे. जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर की पत्थरगढी जरिये पुलिस ईमदाद से करवाने हेतु तहसीलदार आमेर को आदेशित व निर्देशित किया जावे तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 22 को अप्रार्थी सं0 23 द्वारा पत्थरगढी करते समय किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत कारित नहीं किये जाने हेतु पाबंध किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 22 नोटिस तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 09.04.18 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है। दिनांक 26.04.19 को अप्रार्थी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त सोगानी ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 23.10.18 को जवाब बंद किया गया तथा अप्रार्थी सं0 23 तहसीलदार आमेर ने प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांकः भू.अ./2019/3322 दिनांक 3.7.19 के द्वारा भिजवाकर अंकन किया है कि ग्राम जाहोता के ख0नं0 1473/0.01, 1474/0.03, 1476/0.06 किता 3 रकबा 0.10 है0 की खातेदारी जगदीश प्रसाद पुत्र धन्ना हि0 2/3 श्रीमती सुन्दरी देवी पुत्री जयनारायण ध.प. जगदीश प्रसाद हि0 1/3 कौम अहीर व ख0नं0 1475/3.78 की खातेदारी बिदामी देवी ध.प. छीतरमल हि0 1/3 जगदीश पुत्र धन्ना हि0 1/3 सुन्दरी देवी ध.प. जगदीश प्रसाद पुत्री जयनारायण हि0 1/3 कौम अहीर के नाम है। उक्त ख0नं0 का सीमाज्ञान दिनांक 1.12.16 को किया जा चुका है। खातेदारी भूमि के पडौस में पश्चिम दिशा में ख0नं0 1431/1.31 है0 गै0 मु0 रास्ता जे.डी.ए. के नाम है। उत्तर दिशा में ख0नं0 1462/0.66, 1463/0.54 किता 2 की खातेदारी भगवती देवी पत्नी महादेव प्रसाद, बदरी पुत्र भूरा, ननछी ध.प. नानूराम जाति जाट निवासी चिमनपुरा, सूज्या पुत्र भूरा कैलाश पूरण पिता सूज्या, हनुमान पुत्र भूरा, मांगी पुत्री गणेश पत्नी साधूराम कौम जाट सा. देह ज्याना देवी ध.प. पोखरमल जाट नि. बिहारीपुरा, सन्ती देवी ध.प. जगदीश, मीरा देवी ध.प. सुवालाल, सुवालाल, विमला देवी ध.प. राजू उर्फ नन्छू, कमली देवी, ध.प. रामजीलाल जाति जाट सा. नीदड़, सीताराम पिता मुन्नाराम जाति जाट सा. गोविन्दपुरा, नन्दा पुत्र बिरदू जाति जाट तथा पूर्व दिशा में ख0नं0 1471/4.44, 1472/0.70 किता 2 के कृषक शंकर पुत्र बालू, चौथमल, नारायण, कल्याण पिता बालू कौम अहीर सा. देह व दक्षिण दिशा में ख0नं0 1494/0.22 की खातेदारी कानसिंह पिता हनुमान कौम दरोगा सा.देह व ख0नं0 1478/2320, 1493, 1480 किता 3 रकबा 454 है0 की खातेदारी हरेन्द्रसिंह पिता कर्णसिंह कौम राजपूत सा. देह व ख0नं0 1478/2 की खातेदारी पृथ्वीसिंह पिता रामनारायण सिंह कौम राजपूत व ख0नं0 1478/3 की खातेदारी प्रभात पुत्र रूडा जाति बलाई, सोहनलाल पुत्र भूराराम कौम अहीर पृथ्वीसिंह पुत्र रामनारायण सिंह कौम राजपूत सा.देह के नाम है। किसी भी न्यायालय का स्थगन दर्ज नहीं है। भूमि में हिस्से व रहन जमाबंदी अनुसार है।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं0 02 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अवगत कराया कि विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर शहर (उत्तर) मु0 जयपुर में घोषणात्मक राजस्व वाद विचाराधीन है तथा राजस्व वाद की छाया प्रति पेश की है। अवलोकन से सिद्ध होता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित खाता सं0 नया 142 व पुराना 114 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1473 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1473 रकबा 0.3 है0, ख0नं0 1476 रकबा 0.06 है0 तथा अन्य खाता सं0 276 तथा पुराना 430 में स्थित हाल आराजी ख0नं0 1475 रकबा 3.78 है0 भूमि का वाद अन्य न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिससे जाहिर है कि भूमि विवादित है एवं पत्थरगढी से मौका स्थिति में परिवर्तन की संभावना है जो अन्य न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की कार्यवाही में दखल कर सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं मानते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित भूमि से संबंधित वाद अन्य न्यायालय में विचाराधीन एवं विवादास्पद होने के परिणामस्वरूप खारिज किया जाता है।

आज दिनांक **15.11.2019** को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2020.01.24 11:22:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: